



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-27-09-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत दो अभियुक्तगण को मारपीट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व कुल- 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लक्सा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0003/2015 धारा-323, 504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण सतीश वर्मा व मनीष वर्मा पुत्रगण स्व0 बटुक नाथ वर्मा निवासीगण- डी 45/24 नई बस्ती, थाना- लक्सा, वाराणसी को थाना-लक्सा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 27-09-2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 323, 504 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी